

मूल वाद में डिक्री
(ओ. 20 रूल 6 और 7 जापा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मकराना
बइजलास - मुकेश कुमार चौधरी

वादी :-

1. भैराराम पुत्र शंकरराम जाति हरिजन निवासी
रानीगांव तह. मकराना

प्रतिवादी :-

1. सांवता पुत्र स्व. रामदीन कौम भान्बी, निवासी
दाबड़िया तहसील मकराना
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मकराना

वकील वादी - श्री मोहम्मद असलम उपस्थित

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज. काश्त. अधि.

मुकदमा नम्बर 01/2017

:: डिक्री ::

वाद वादी माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार डिक्री किया जाता है कि मौजा दाबड़िया के खसरा संख्या 12 रकबा 17 बीघा 02 बिस्वा में से वादी भैराराम पुत्र शंकरराम जाति हरिजन को उत्तरी हिस्से रकबा 10 बीघा व प्रतिवादी सांवताराम पुत्र रामदीन कौम भान्बी को दक्षिणी हिस्सा रकबा 7.02 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मकराना को तदानुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री पर्चा का हिस्सा रहेगा।

इस वाद में खर्चे लेखे..निल. रूपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ... निल... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहितनिल... के द्वारा ...निल... को दी जावेगी।

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
निल	निल	निल	निल

आज दिनांक 19.04.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।



(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मकराना